भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4206

जिसका उत्तर 18 मार्च, 2026 को दिया जाना है ।

27 फाल्गुन, 1947 (शक)

निजी प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों को साझा किए गए सरकारी डेटासेट

4206. श्री पुष्पेंद्र सरोजः
श्री नीरज मौर्यः
एडवोकेट प्रिया सरोजः
श्री देवेश शाक्यः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान निजी प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों को साझा किए गए अथवा सुलभ किए गए सरकारी डेटामेटों की संख्या और श्रेणियों का वर्ष-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या हैं;
(ख) क्या ऐसे डेटासेटों को संरक्षित किया गया था, संग्रहीत किया गया था या उनमें व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी दी गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) आधार प्रमाणीकरण, एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई), डिजी लॉकर या इसी प्रकार के प्लेटफार्मों जैसी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तक कितनी सार्वजनिक-निजी भागीदारियों को पहुंच प्रदान की गई है और ऐसी पहुंच के लिए कौन-कौन सी शर्तें और सुरक्षा उपाय किए गए हैं;
(घ) सार्वजनिक डेटा के दुरुपयोग अथवा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के अनधिकृत वाणिज्यिक दोहन के संबंध में कितनी शिकायतें, डेटा गोपनीयता के उल्लंघन संबंधी रिपोर्टें अथवा अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;
(ङ) क्या किसी स्वतंत्र संपरीक्षा या आंतरिक समीक्षा में डेटा न्यूनीकरण, सहमति संबंधी संरचना या डेटा को बनाए रखने की पद्धतियों में कमियों की पहचान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) निजी कंपनियों द्वारा सरकार के पास मौजूद डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या विनियामक सुरक्षोपाय, जवाबदेही तंत्र और शास्तियां शुरू की गई हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (च): भारत ने डेटा और डिजिटल अवसंरचना प्लेटफॉर्म का एक परस्पर जुड़ा हुआ पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित किया है। इन्हें नवाचार, पारदर्शिता और सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ावा देने के लिए खुले, विनियमित और क्षेत्र-विशिष्ट पहुंच ढांचे के माध्यम से डिज़ाइन किया गया है।
डेटासेट को निम्नलिखित सरकारी डेटा प्लेटफार्मों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है:
1. इंडियाएआई मिशन के तहत एआईकोश एक संप्रभु एआई-आर्टिफैक्ट हब है जो कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, शासन, पर्यावरण और वित्त जैसे क्षेत्रों में पूर्व-प्रशिक्षित एआई मॉडल और डेटासेट प्रदान करता है।
एआईकोश के इन मॉडलों और अन्य विशेषताओं को www.aikosh.com से अभिगमित किया जा सकता है।
2. ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म / भारत डेटा प्लेटफॉर्म (data.gov.in) राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और अभिगम्यता नीति (एनडीएसएपी) के तहत सरकारी डेटासेट तक खुली पहुंच प्रदान करता है। यह भारत में खुले सरकारी डेटा का सबसे बड़ा भंडार है, जो पारदर्शिता और सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देता है।

यह प्लेटफॉर्म कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, ऊर्जा, पर्यावरण और शासन जैसे क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हुए लगभग 4.54 लाख डेटासेट और 2.36 लाख एपीआई प्रदान करता है।

अप्रैल 2025 तक, इसे व्यापक भारत डेटा प्लेटफॉर्म (बीडीपी) में शामिल कर लिया गया है, जिससे सरकार, शिक्षा और स्टार्टअप के लिए एक एकीकृत डेटा इकोसिस्टम तैयार हुआ है.

3. नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म (एनडीएपी) नीति आयोग द्वारा विकसित एक मंच है जो कई मंत्रालयों से डेटासेट को एक ही मंच में एकत्रित और मानकीकृत करता है। यह सरकारी डेटा को अधिक तुलनीय और सुलभ बनाता है ताकि शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स और नीति-निर्माताओं को साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सहायता मिल सके।
यह 31 क्षेत्रों और 53 मंत्रालयों में लगभग 6362 डेटासेट होस्ट करता है। यह अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में मानकीकृत और अंतर-संचालित डेटासेट प्रदान करता है।
ये डेटासेट https://ndap.niti.gov.in पर उपलब्ध हैं।

4. यूपीआई क्षेत्र-विशिष्ट डेटा एक्सेस का उदाहरण प्रस्तुत करता है। वित्त और भुगतान डेटा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इकोसिस्टम से जुड़े एपीआई के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, जिससे बड़े पैमाने पर फिनटेक नवाचार को सक्षम किया जा सकता है।
5. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्वास्थ्य रिकॉर्ड डेटा रखता है और आधार-आधारित पहचान और प्रमाणीकरण एपीआई के साथ-साथ डिजिटल स्वास्थ्य एक्सचेंजों के माध्यम से साझा करने में सक्षम बनाता है।

यह खुले डेटासेट प्रकाशित करने के बजाय एक एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम बनाकर भारत के स्वास्थ्य डेटा अवसंरचना का आधार है।

जबकि ओजीडी खुले डेटा की सबसे बड़ी मात्रा प्रदान करता है, एनडीएपी मानकीकरण के माध्यम से उपयोगिता को बढ़ाता है, एआईकोश एआई नवाचार का समर्थन करता है, यूपीआई फिनटेक विकास का समर्थन करता है और एबीडीएम एक सुरक्षित स्वास्थ्य डेटा अवसंरचना का निर्माण करता है।

साथ में, ये प्लेटफ़ॉर्म भारत की उस रणनीति को दर्शाते हैं, जिसमें एआई विकास, सार्वजनिक सेवा वितरण और अनुसंधान को सक्षम बनाने के लिए खुले, संघीय और क्षेत्र-विशिष्ट डेटा अवसंरचना का निर्माण किया जा रहा है।

कई स्टार्ट-अप और संस्थाएं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) जैसे आधार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), डिजिलॉकर और अन्य डेटा प्लेटफॉर्म तक विनियमित ढांचे के माध्यम से पहुंचती हैं।

व्यक्तिगत डेटा तक अनधिकृत अभिगम, धोखाधड़ी वाले वित्तीय लेनदेन और डेटा स्क्रैपिंग से संबंधित शिकायतों को क्षेत्र के नियामकों (जैसे, बैंकिंग, दूरसंचार), राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in), सर्ट-इन और प्लेटफार्म-विशिष्ट शिकायत प्रणालियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

data.gov.in पोर्टल के लिए व्यापक सुरक्षा ऑडिट किया गया है। यूआईडीएआई अपने सिस्टम का आवधिक ऑडिट भी करता है। इसी प्रकार, बैंकों और मंत्रालयों/विभागों जैसे अन्य संबंधित संगठनों द्वारा आंतरिक समीक्षा और सुरक्षा लेखा परीक्षा की जाती है।

ये ऑडिट समय-समय पर सहमति संरचना, डेटा प्रतिधारण और सुरक्षा सुरक्षा उपायों से संबंधित मुद्दों की जांच करते हैं, और बाद में कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक सुधार किए जाते हैं।
इस संबंध में भारत में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए भारतीय कानूनी और नियामक ढांचे में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और यूआईडीएआई, आरबीआई आदि जैसे नियामकों के क्षेत्र-विशिष्ट दिशानिर्देश भी मौजूद हैं।

विभिन्न प्रकार की दंड व्यवस्थाओं में डेटा के दुरुपयोग के लिए वित्तीय दंड, एपीआई एक्सेस का निलंबन, प्लेटफ़ॉर्म लाइसेंस की समाप्ति और गंभीर मामलों में आपराधिक दंड शामिल हैं। उदाहरण के लिए, डीपीडीपी अधिनियम डेटा उल्लंघनों या गैर-अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय दंड का प्रावधान करता है।

सुरक्षोपायों में अनिवार्य प्रयोक्ता सहमति, प्रयोजन सीमा (केवल बताए गए प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा), डेटा न्यूनीकरण, सुरक्षा सुरक्षा उपाय और एन्क्रिप्शन और स्वतंत्र ऑडिट शामिल हैं।
